पालि साहित्य में न्यायिक दर्शन की विशेषता

डॉ. मंजु कुमारी

सहायक प्राध्यापक, पाली विभाग, राम लखन सिंह यादव कॉलेज, बख्तियारपुर, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना

सारांश

पालि साहित्य बौद्ध धर्म का प्राचीनतम और प्रामाणिक स्रोत है जो न केवल धार्मिक उपदेशों का संग्रह है, अपितु सामाजिक, राजनीतिक और न्यायिक व्यवस्था का भी महत्वपूर्ण दस्तावेज है। त्रिपिटक, जातक कथाएँ और अन्य पालि ग्रंथों में न्याय, विधि और नैतिकता के सिद्धांतों का व्यापक विवरण मिलता है। यह शोध पत्र पालि साहित्य में उल्लिखित न्यायिक दर्शन की विशेषताओं का विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत करता है। इसमें विनय पिटक में वर्णित विधि व्यवस्था, सुत्त पिटक में उल्लिखित न्यायिक सिद्धांत, जातक कथाओं में न्याय प्रशासन और बौद्ध धर्म के नैतिक न्याय दर्शन का गहन अध्ययन किया गया है। शोध से यह स्पष्ट होता है कि पालि साहित्य में न्यायिक दर्शन धर्म, नैतिकता और व्यावहारिक न्याय का समन्वित रूप है जो आधुनिक न्याय व्यवस्था के लिए भी प्रासंगिक है।

मुख्य शब्द: *पालि साहित्य, न्यायिक दर्शन, त्रिपिटक, विनय पिटक, धम्म, बौद्ध न्याय व्यवस्था*

प्रस्तावना

पालि भाषा प्राचीन भारत की महत्वपूर्ण भाषाओं में से एक है जिसे बौद्ध धर्म के प्रसार और संरक्षण का माध्यम बनने का गौरव प्राप्त है। महात्मा बुद्ध के उपदेशों को मौखिक परंपरा के माध्यम से संरक्षित किया गया और बाद में पालि भाषा में लिपिबद्ध किया गया। पालि साहित्य का विशाल भंडार त्रिपिटक के रूप में संगृहीत है जिसमें विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक सम्मिलित हैं। इन ग्रंथों में धर्म, दर्शन, नैतिकता के साथ-साथ तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक और न्यायिक व्यवस्था का भी सूक्ष्म वर्णन है (नॉर्मन 45-48)।

न्यायिक दर्शन किसी भी समाज की सभ्यता और संस्कृति का महत्वपूर्ण अंग होता है। यह केवल कानून और दंड की व्यवस्था नहीं, बल्कि नैतिकता, धर्म और सामाजिक कल्याण से भी जुड़ा होता है। पालि साहित्य में न्याय की अवधारणा धम्म (धर्म) से अभिन्न रूप से संबद्ध है। धम्म केवल धार्मिक विधान नहीं है, वरन् यह जीवन का मार्गदर्शक सिद्धांत है जो व्यक्तिगत आचरण से लेकर सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था तक को नियंत्रित करता है (हार्वे 42-45)।

बौद्ध साहित्य में न्याय का आधार कर्म सिद्धांत है। प्रत्येक कर्म का फल अवश्यंभावी है और न्याय की व्यवस्था इसी सिद्धांत पर आधारित है (कियोन, "बौद्ध नैतिकता" 89)। विनय पिटक में संघ की विधि व्यवस्था का विस्तृत विवरण है जो आधुनिक न्यायिक प्रक्रिया के अनेक तत्वों से समानता रखता है। सुत्त पिटक में राजधर्म, न्यायप्रिय शासन और सामाजिक न्याय के सिद्धांत प्रतिपादित हैं। जातक कथाओं में व्यावहारिक न्याय के उदाहरण मिलते हैं जो तत्कालीन न्याय प्रशासन की झलक प्रस्तुत करते हैं (गोम्ब्रिच 134-137)।

इस शोध पत्र का उद्देश्य पालि साहित्य में वर्णित न्यायिक दर्शन की विशेषताओं का व्यापक विश्लेषण करना है। यह अध्ययन न केवल ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, अपितु आधुनिक न्याय व्यवस्था के लिए भी प्रासंगिक सिद्धांत प्रदान करता है।

पालि साहित्य का परिचय और संरचना

पालि साहित्य बौद्ध धर्म का मूल स्रोत है जो मुख्यतः थेरवाद परंपरा से संबंधित है। पालि शब्द का अर्थ है 'पंक्ति' या 'श्रेणी', जो बुद्ध वचनों की पंक्तिबद्ध परंपरा को इंगित करता है। महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति में उनके उपदेशों को व्यवस्थित रूप से संकलित किया गया। यह संकलन त्रिपिटक के रूप में जाना जाता है (पांडे 67-72)।

त्रिपिटक तीन पिटकों में विभाजित है। विनय पिटक में भिक्षु और भिक्षुणी संघ के लिए आचार संहिता और अनुशासनात्मक नियम संग्रहीत हैं। इसमें कुल 227 नियम भिक्षुओं के लिए और 311 नियम भिक्षुणियों के लिए निर्धारित हैं (हॉर्नर, खंड 1, 23-25)। विनय पिटक में केवल नियम ही नहीं, बल्कि प्रत्येक नियम की उत्पत्ति की कथा, उल्लंघन के मामले और दंड विधान का भी उल्लेख है। यह न्यायिक प्रक्रिया का एक विस्तृत दस्तावेज है जो मामले की सुनवाई, साक्ष्य प्रस्तुति और निर्णय प्रक्रिया को स्पष्ट करता है (थानिस्सरो भिक्खु 45-52)।

सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेश और संवाद संग्रहीत हैं। यह पाँच निकायों में विभाजित है – दीघ निकाय, मज्झिम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। इन सुत्तों में धर्म, नैतिकता, समाज, राजनीति और न्याय पर विस्तृत चर्चा है। विशेष रूप से दीघ निकाय के अग्गञ्ञ सुत्त में समाज और राज्य की उत्पत्ति तथा राजधर्म का वर्णन है। चक्कवत्ति सीहनाद सुत्त में न्यायप्रिय शासन के सिद्धांत प्रतिपादित हैं (वाल्शे 397-405)।

अभिधम्म पिटक बौद्ध दर्शन का सैद्धांतिक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। यह मन, चेतना, नैतिकता और कर्म के गूढ़ सिद्धांतों का विवेचन करता है। अभिधम्म में नैतिक और अनैतिक कर्मों का वर्गीकरण, मानसिक अवस्थाओं का विश्लेषण और कर्मफल के सिद्धांत का दार्शनिक आधार प्रस्तुत किया गया है (बोधि, "संयुक्त निकाय" 567-572)।

पालि साहित्य में जातक कथाओं का भी महत्वपूर्ण स्थान है। ये कथाएँ बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियाँ हैं जो नैतिक शिक्षा प्रदान करती हैं। जातक कथाओं में राजाओं, न्यायाधीशों, व्यापारियों और सामान्य जनों के जीवन से संबंधित घटनाएँ हैं जो तत्कालीन न्याय व्यवस्था और सामाजिक मूल्यों को प्रकट करती हैं (कॉलिन्स 234-239)।

पालि साहित्य की विशेषता यह है कि यह केवल सैद्धांतिक नहीं है, बल्कि व्यावहारिक जीवन से गहराई से जुड़ा है। न्याय, विधि और नैतिकता के सिद्धांत यहाँ वास्तविक घटनाओं और समस्याओं के संदर्भ में प्रस्तुत किए गए हैं (शर्मा 156-161)।

पालि साहित्य में न्याय की अवधारणा

पालि साहित्य में न्याय की अवधारणा धम्म से अभिन्न रूप से जुड़ी है। धम्म शब्द बहुआयामी है जिसका अर्थ धर्म, कानून, न्याय, सत्य और प्राकृतिक नियम सभी में निहित है। बौद्ध दर्शन में धम्म वह सार्वभौमिक सिद्धांत है जो संपूर्ण ब्रह्मांड को नियंत्रित करता है (रीज़ डेविड्स और स्टीड 338-340)। यह केवल मानव निर्मित कानून नहीं है, बल्कि प्रकृति का शाश्वत नियम है।

न्याय का आधार कर्म सिद्धांत है। बौद्ध धर्म में कर्म का विशेष महत्व है। प्रत्येक कर्म – शारीरिक, वाचिक या मानसिक – का फल होता है। शुभ कर्म का शुभ फल और अशुभ कर्म का अशुभ फल मिलना अवश्यंभावी है (मिश्रा 115-118)। यह प्राकृतिक न्याय है जो किसी बाह्य न्यायाधीश पर निर्भर नहीं है। कर्म स्वयं अपना फल उत्पन्न करता है। यह सिद्धांत व्यक्तिगत उत्तरदायित्व को स्थापित करता है और नैतिक आचरण के लिए प्रेरित करता है।

सुत्त पिटक में धम्म को राज्य व्यवस्था का आधार बताया गया है। चक्कवत्ति सीहनाद सुत्त में वर्णित है कि जब राजा धम्म के अनुसार शासन करता है, तो समाज में शांति, समृद्धि और न्याय की स्थापना होती है (वाल्शे 402-403)। इसके विपरीत, जब राजा अधर्म का मार्ग अपनाता है, तो समाज में अव्यवस्था, अपराध और दुख बढ़ता है। यह सुत्त न्याय और सामाजिक कल्याण के बीच सीधा संबंध स्थापित करता है।

दीघ निकाय के अग्गञ्ञ सुत्त में राज्य और न्याय की उत्पत्ति की व्याख्या की गई है। इस सुत्त के अनुसार, प्रारंभ में समाज में कोई निजी संपत्ति नहीं थी और सभी संसाधनों पर सामूहिक अधिकार था। जब संपत्ति की अवधारणा विकसित हुई, तो चोरी, झूठ और हिंसा जैसे अपराध उत्पन्न हुए (रीज़ डेविड्स और कारपेंटर, खंड 3, 92-93)। समाज ने अपराधों को नियंत्रित करने के लिए एक व्यक्ति को चुना जो न्याय और व्यवस्था बनाए रखे। इस प्रकार राजा और राज्य की उत्पत्ति हुई। यह सामाजिक संविदा सिद्धांत का प्राचीन रूप है जो यह स्पष्ट करता है कि राज्य और न्याय व्यवस्था समाज की आवश्यकता से उत्पन्न हुए हैं (तंबिया 42-45)।

पालि साहित्य में न्याय का एक महत्वपूर्ण पहलू समानता है। बुद्ध ने जाति, वर्ण और लिंग के आधार पर भेदभाव का विरोध किया। संघ में प्रवेश सभी के लिए खुला था – चाहे वह ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र। स्त्रियों को भी भिक्षुणी संघ में प्रवेश की अनुमति थी। यह सामाजिक समानता का क्रांतिकारी विचार था जो तत्कालीन वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध था (सिंह 389-392)। बुद्ध का कथन था कि जन्म से नहीं, कर्म से व्यक्ति ब्राह्मण या चांडाल बनता है। यह योग्यता आधारित समाज की अवधारणा थी जो न्याय का आधार है।

न्याय में दया और करुणा का भाव भी महत्वपूर्ण है। बौद्ध दर्शन में दंड का उद्देश्य प्रतिशोध नहीं, बल्कि सुधार है। अपराधी को दंड देकर उसे सही मार्ग पर लाना चाहिए। धम्मपद में कहा गया है कि बुराई के बदले बुराई नहीं, वरन् प्रेम और करुणा से ही बुराई का अंत होता है (सद्धातिस्स 78-81)। यह पुनर्स्थापनात्मक न्याय की अवधारणा है जो आधुनिक न्याय दर्शन में भी स्वीकृत है।

विनय पिटक में विधि व्यवस्था

विनय पिटक बौद्ध संघ के लिए विधि संहिता है। इसमें भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए आचार नियम, अनुशासनात्मक प्रक्रियाएँ और न्यायिक कार्यविधि का विस्तृत विवरण है। विनय पिटक तीन भागों में विभाजित है – सुत्त विभंग, खन्धक और परिवार। सुत्त विभंग में पातिमोक्ख (प्रातिमोक्ष) के नियमों की व्याख्या है। खन्धक में संघ की विभिन्न प्रक्रियाओं और समारोहों का वर्णन है। परिवार एक संक्षिप्त सारांश है (हॉर्नर, खंड 1, 15-18)।

पातिमोक्ख में भिक्षुओं के लिए 227 और भिक्षुणियों के लिए 311 नियम हैं। ये नियम गंभीरता के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में विभाजित हैं। पाराजिक (पराजय) सबसे गंभीर अपराध हैं जिनमें काम संबंधी दुराचार, चोरी, हत्या और झूठे रूप

से अध्यात्मिक उपलब्धियों का दावा करना सम्मिलित है। इन अपराधों का दंड संघ से स्थायी निष्कासन है (थानिस्सरो भिक्खु 89-95)। संघादिसेस अपराध भी गंभीर हैं लेकिन संघ की अनुमति से इनमें पुनर्वास संभव है।

विनय पिटक की विशेषता यह है कि प्रत्येक नियम की उत्पत्ति की कथा दी गई है। यह बताया गया है कि किस घटना के कारण बुद्ध ने वह विशेष नियम बनाया। यह विधि निर्माण की प्रक्रिया को स्पष्ट करता है (शोपेन 156-161)। नियम समाज की आवश्यकता और व्यावहारिक समस्याओं के समाधान के लिए बनाए गए थे, न कि किसी अमूर्त सिद्धांत के आधार पर। यह व्यावहारिक न्यायशास्त्र का उत्कृष्ट उदाहरण है।

विनय पिटक में न्यायिक प्रक्रिया का विस्तृत विवरण है। जब कोई भिक्षु अपराध करता था, तो उसके विरुद्ध औपचारिक कार्यवाही की जाती थी। आरोप लगाने से पहले यह सुनिश्चित करना आवश्यक था कि आरोप सत्य है और पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है। निराधार आरोप लगाना स्वयं एक अपराध था। यह निर्दोष की सुरक्षा और न्यायिक प्रक्रिया की गंभीरता को दर्शाता है (हॉर्नर, खंड 2, 234-238)।

संघ में विवादों के निपटारे के लिए सात अधिकरण समथ (विवाद समाधान प्रक्रियाएँ) निर्धारित थे। ये प्रक्रियाएँ विभिन्न प्रकार के विवादों के लिए विशिष्ट समाधान प्रदान करती थीं। सम्मुख विनय का अर्थ है दोनों पक्षों की उपस्थिति में निर्णय लेना (त्रिपाठी 82-85)। यह प्राकृतिक न्याय का मूल सिद्धांत है जिसे आधुनिक विधि में भी मान्यता प्राप्त है। स्मृति विनय स्मृति या स्मरण शक्ति के आधार पर निर्णय लेना है। आमूलह विनय मानसिक विकार या भ्रम की स्थिति में किए गए कार्य को क्षमा करने की प्रक्रिया है।

तस्सपापियासिका अपराध की स्वीकारोक्ति और क्षमा याचना की प्रक्रिया है। यदि अपराधी स्वयं अपने अपराध को स्वीकार करता है और पश्चाताप प्रकट करता है, तो उसे हल्का दंड दिया जाता है। यह आत्म-स्वीकारोक्ति के महत्व को स्थापित करता है (हॉर्नर, खंड 3, 167-169)। यब्बदत्थं में बहुमत से निर्णय लेने की व्यवस्था है। तिणवत्थारक घास से ढकने की प्रक्रिया है, जिसमें दोनों पक्ष अपने छोटे-मोटे अपराधों को भुला देते हैं और पुनः मित्रता स्थापित करते हैं।

विनय पिटक में साक्ष्य के नियम भी निर्धारित हैं। प्रत्यक्ष साक्ष्य, साक्षी की गवाही और परिस्थितिजन्य साक्ष्य को मान्यता दी गई है। साक्षी की विश्वसनीयता का परीक्षण किया जाता था। यदि साक्षी झूठी गवाही देता है, तो वह स्वयं दोषी माना जाता है (राय 203-207)। यह साक्ष्य विधि का एक विकसित रूप है।

विनय पिटक में दंड के सिद्धांत भी महत्वपूर्ण हैं। दंड का उद्देश्य केवल अपराधी को सजा देना नहीं, बल्कि उसे सुधारना और संघ की पवित्रता बनाए रखना है। दंड अपराध की गंभीरता के अनुसार निर्धारित किया जाता है। कुछ मामलों में संघ से अस्थायी निष्कासन, सार्वजनिक निंदा या विशेष कार्य करने की सजा दी जाती है। गंभीर अपराधों में स्थायी निष्कासन का प्रावधान है (थानिस्सरो भिक्खु 178-183)।

विनय पिटक की एक विशेषता यह है कि यह लचीला है और परिस्थितियों को ध्यान में रखता है। अनजाने में किए गए अपराध और जानबूझकर किए गए अपराध में अंतर किया गया है। मानसिक स्थिति, परिस्थितियाँ और अपराधी का इतिहास दंड निर्धारण में विचारणीय तत्व हैं। यह न्याय में मानवीयता और विवेक का समावेश है।

सुत्त पिटक में न्यायिक सिद्धांत

सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेश और विभिन्न विषयों पर संवाद संग्रहीत हैं। इसमें न्याय, राजधर्म, सामाजिक व्यवस्था और नैतिकता पर महत्वपूर्ण सूत्र हैं जो न्यायिक दर्शन को स्पष्ट करते हैं।

दीघ निकाय का चक्कवत्ति सीहनाद सुत्त आदर्श राजा और न्यायप्रिय शासन का विवरण प्रस्तुत करता है। इस सुत्त में चक्रवर्ती राजा के दस गुण बताए गए हैं – दान, शील, त्याग, सत्यनिष्ठा, कोमलता, तपस्या, क्षमा, अहिंसा, धैर्य और सहिष्णुता (वाल्शे 398-400)। ये गुण न्यायप्रिय शासन के आधार हैं। राजा को चाहिए कि वह धर्मानुसार शासन करे, प्रजा की रक्षा करे और न्याय प्रदान करे। सुत्त में कहा गया है कि जब राजा धर्म से विचलित होता है, तो समाज में अपराध बढ़ते हैं, गरीबी फैलती है और अव्यवस्था उत्पन्न होती है। यह सामाजिक समस्याओं का मूल कारण राजनीतिक और आर्थिक अन्याय को बताता है।

चक्कवत्ति सीहनाद सुत्त में राजा के कर्तव्यों का वर्णन है। राजा को चाहिए कि वह गरीबों की सहायता करे, कृषि और व्यापार को प्रोत्साहित करे और आर्थिक असमानता को कम करे (साइज़मोर और स्वीरर 123-127)। यदि लोगों के पास आजीविका के साधन नहीं होंगे, तो वे चोरी और हिंसा का सहारा लेंगे। इस प्रकार आर्थिक न्याय और सामाजिक शांति के बीच सीधा संबंध स्थापित किया गया है। यह आधुनिक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का पूर्वाभास है।

अग्गञ्ञ सुत्त में समाज और राज्य की उत्पत्ति की व्याख्या है। यह सुत्त बताता है कि राज्य और राजा की स्थापना समाज की सामूहिक सहमति से हुई थी (रीज़ डेविड्स और कारपेंटर, खंड 3, 80-98)। जब समाज में अपराध बढ़ने लगे, तो लोगों ने मिलकर एक व्यक्ति को चुना जो न्याय और व्यवस्था बनाए रखे। बदले में लोग उसे अपनी उपज का एक हिस्सा देने पर सहमत हुए। यह सामाजिक संविदा का सिद्धांत है जो पश्चिमी राजनीतिक दर्शन में विकसित किया गया। अग्गञ्ञ सुत्त इस सिद्धांत का प्राचीन रूप प्रस्तुत करता है (तंबिया 54-57)।

कूटदंत सुत्त में न्यायसंगत कराधान और सामाजिक कल्याण की चर्चा है। इस सुत्त में एक ब्राह्मण द्वारा बड़े यज्ञ की योजना का वर्णन है। बुद्ध ने उसे बताया कि सच्चा यज्ञ पशुबलि नहीं, बल्कि जनकल्याण है। राजा को चाहिए कि वह किसानों, व्यापारियों और जरूरतमंदों की सहायता करे (वाल्शे 127-133)। न्यायसंगत कर व्यवस्था और सार्वजनिक कल्याण के कार्यक्रम सच्ची धार्मिकता हैं।

मज्झिम निकाय में कई सुत्त हैं जो नैतिक आचरण और कर्मफल के सिद्धांत को स्पष्ट करते हैं। चूळकम्मविभंग सुत्त में विभिन्न कर्मों के फल का विस्तृत वर्णन है। हिंसा, चोरी, व्यभिचार, झूठ और नशे के सेवन जैसे अनैतिक कर्मों के दुष्परिणाम बताए गए हैं। इसके विपरीत, दान, सदाचार, सत्य और करुणा के शुभ फल की चर्चा है (हार्वे 45-49)। यह नैतिक न्याय का सिद्धांत है जो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व पर बल देता है।

अंगुत्तर निकाय में राजधर्म पर कई उपदेश हैं। एक सुत्त में चार प्रकार के राजाओं का वर्णन है – जो स्वयं अधर्म करता है और प्रजा को भी अधर्म में प्रवृत्त करता है, जो स्वयं अधर्म करता है लेकिन प्रजा को धर्म का उपदेश देता है, जो स्वयं धर्म का पालन करता है लेकिन प्रजा को अधर्म में प्रवृत्त होने देता है, और जो स्वयं भी धर्मपरायण है और प्रजा को भी धर्म मार्ग पर चलाता है (बोधि, "अंगुत्तर निकाय" 267-269)। स्पष्ट है कि चौथा प्रकार का राजा सर्वोत्तम है।

सुत्त पिटक में न्याय प्रशासन के सिद्धांत भी मिलते हैं। न्यायाधीश को निष्पक्ष, विद्वान और धर्मज्ञ होना चाहिए। उसे किसी प्रकार के भय, लालच या पक्षपात से मुक्त होकर निर्णय लेना चाहिए। अंगुत्तर निकाय में कहा गया है कि जो व्यक्ति भय, लालच, मोह या द्वेष के कारण गलत निर्णय देता है, वह धर्म का नाश करता है (वर्मा 52-55)। यह न्यायिक नैतिकता का महत्वपूर्ण सिद्धांत है।

धम्मपद बौद्ध नैतिकता का सारभूत ग्रंथ है। इसमें न्याय, सत्य और धर्म पर अनेक श्लोक हैं। धम्मपद कहता है कि सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। न्याय धर्म का आधार है और धर्म शाश्वत सत्य है (सद्धातिस्स 89-92)। जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलता है, वह इस लोक और परलोक दोनों में सुखी रहता है। धम्मपद में दंड के बारे में भी महत्वपूर्ण उपदेश हैं। यह कहता है कि सभी प्राणी दंड से भयभीत होते हैं, सभी मृत्यु से डरते हैं। इसलिए अपने समान दूसरों को समझकर किसी को न मारना चाहिए और न मरवाना चाहिए। यह अहिंसा और समानता का सिद्धांत है।

जातक कथाओं में न्याय प्रशासन

जातक कथाएँ बुद्ध के पूर्वजन्मों की कहानियाँ हैं जो नैतिक शिक्षा प्रदान करती हैं। इन कथाओं में राजाओं, मंत्रियों, न्यायाधीशों और सामान्य लोगों के जीवन से संबंधित घटनाएँ हैं। जातक कथाओं में तत्कालीन समाज, राजनीति और न्याय व्यवस्था की झलक मिलती है (कॉलिन्स 245-251)। ये कथाएँ न केवल सैद्धांतिक शिक्षा देती हैं, बल्कि व्यावहारिक न्याय के उदाहरण भी प्रस्तुत करती हैं।

महोसध जातक में बोधिसत्व एक बुद्धिमान मंत्री के रूप में प्रकट होते हैं। इस कथा में न्यायप्रिय शासन, कूटनीति और समस्या समाधान के गुणों का वर्णन है। जब राज्य में संकट आता है, तो बोधिसत्व अपनी बुद्धि और न्याय से समस्याओं का समाधान करते हैं। यह कथा यह दर्शाती है कि सच्चा न्याय बुद्धि, धैर्य और करुणा का संयोग है।

मातंग जातक में एक चांडाल परिवार में जन्मे बोधिसत्व की कथा है जो अपने गुणों और ज्ञान से समाज में सम्मान प्राप्त करते हैं। यह कथा जाति आधारित भेदभाव का खंडन करती है और यह स्थापित करती है कि व्यक्ति का मूल्य उसके जन्म से नहीं, बल्कि उसके कर्म और गुणों से निर्धारित होता है (सिंह 395-398)। यह सामाजिक न्याय का महत्वपूर्ण सिद्धांत है।

सोनक जातक में दो व्यापारियों के बीच विवाद और उसके न्यायिक समाधान की कथा है। बोधिसत्व न्यायाधीश के रूप में दोनों पक्षों की बात सुनते हैं, साक्ष्यों का परीक्षण करते हैं और निष्पक्ष निर्णय देते हैं। यह कथा न्यायिक प्रक्रिया के महत्वपूर्ण तत्वों को प्रस्तुत करती है – दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर, साक्ष्य का महत्व और निष्पक्ष निर्णय।

महासुतसोम जातक में बोधिसत्व एक राजा के रूप में हैं जो सत्य और न्याय के लिए अपना जीवन भी बलिदान करने को तैयार हैं। कथा में राजा ने एक राक्षस को वचन दिया है और वचन पूरा करने के लिए अपने प्राणों को भी दांव पर लगा देते हैं। यह सत्यनिष्ठा और वचनबद्धता का उच्चतम उदाहरण है। न्याय केवल दूसरों के प्रति नहीं, बल्कि स्वयं के प्रति भी ईमानदारी की मांग करता है।

सिलवनाग जातक में एक नाग (सर्प) की कथा है जो शील (नैतिक आचरण) का पालन करता है। जब शिकारी उसे पकड़ लेते हैं और यातना देते हैं, तब भी वह अहिंसा का पालन करता है। यह कथा यह दर्शाती है कि सच्चा न्याय प्रतिशोध नहीं, बल्कि धर्म और करुणा में है (हार्वे 156-159)।

जातक कथाओं में राजाओं के न्यायिक निर्णयों के अनेक उदाहरण हैं। कुछ कथाओं में राजा कठिन मामलों का समाधान अपनी बुद्धि और न्याय से करते हैं। कुछ कथाओं में गलत निर्णय के दुष्परिणाम भी दिखाए गए हैं। उमंग जातक में एक राजा जल्दबाजी में गलत निर्णय देता है और बाद में उसे पश्चाताप होता है। यह कथा न्यायाधीशों को सचेत करती है कि उन्हें धैर्यपूर्वक और सोच-समझकर निर्णय लेना चाहिए।

जातक कथाओं में दंड के सिद्धांत भी मिलते हैं। कुछ कथाओं में कठोर दंड के बुरे परिणाम दिखाए गए हैं। तेलपट्ट जातक में एक राजा छोटे अपराध के लिए कठोर दंड देता है, जिससे प्रजा में असंतोष फैलता है। इसके विपरीत, कुछ कथाओं में क्षमाशील राजाओं की प्रशंसा की गई है जो अपराधियों को सुधरने का अवसर देते हैं (शर्मा 189-193)।

जातक कथाओं में न्याय की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि वे सामान्य जनों के जीवन से जुड़ी हैं। ये कथाएँ केवल राजाओं और उच्च वर्ग के लोगों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि किसानों, व्यापारियों, शिल्पकारों और गरीब लोगों की समस्याओं को भी प्रस्तुत करती हैं। यह दर्शाता है कि न्याय सभी के लिए है, न कि केवल विशिष्ट वर्ग के लिए।

बौद्ध धर्म का नैतिक न्याय दर्शन

बौद्ध धर्म में न्याय का आधार नैतिकता है। बौद्ध नैतिकता का केंद्रीय सिद्धांत पंचशील है – अहिंसा, सत्य, अस्तेय (चोरी न करना), ब्रह्मचर्य (यौन दुराचार से बचना) और मद्य सेवन से परहेज। ये पाँच शील व्यक्तिगत आचरण के नियम हैं जो सामाजिक व्यवस्था और न्याय का आधार बनते हैं (हार्वे 67-73)।

अहिंसा बौद्ध नैतिकता का सर्वोच्च सिद्धांत है। बुद्ध ने सभी जीवों के प्रति करुणा और अहिंसा का उपदेश दिया। न्याय व्यवस्था में भी अहिंसा का समावेश होना चाहिए। दंड का उद्देश्य प्रतिशोध नहीं, बल्कि सुधार होना चाहिए। बौद्ध धर्म ने मृत्युदंड का विरोध किया और कहा कि हिंसा से हिंसा का अंत नहीं होता (कियोन 112-116)। यह आधुनिक मानवाधिकार और पुनर्स्थापनात्मक न्याय के सिद्धांतों से मेल खाता है।

सत्य न्याय की आधारशिला है। बौद्ध धर्म में झूठ बोलना गंभीर अपराध माना गया है। न्याय व्यवस्था में सत्य का विशेष महत्व है। साक्षी को सत्य बोलना चाहिए, न्यायाधीश को सत्य की खोज करनी चाहिए और राजा को सत्य के आधार पर शासन करना चाहिए। बुद्ध ने कहा कि जो व्यक्ति एक बार झूठ बोल देता है, उसके लिए कोई भी पाप असंभव नहीं रहता (सद्धातिस्स 95-98)।

बौद्ध धर्म में समानता का सिद्धांत न्याय का महत्वपूर्ण पहलू है। बुद्ध ने जाति, वर्ण, लिंग और आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव का विरोध किया। उन्होंने कहा कि सभी मनुष्य समान हैं और किसी भी व्यक्ति को उसके जन्म के आधार पर श्रेष्ठ या निम्न नहीं माना जा सकता (कियोन, "बौद्ध धर्म और मानवाधिकार" 75-78)। यह सामाजिक न्याय का क्रांतिकारी विचार था जो तत्कालीन वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध था।

बौद्ध धर्म में करुणा और मैत्री के सिद्धांत न्याय को मानवीय बनाते हैं। न्याय केवल कानून का पालन नहीं है, बल्कि यह करुणा और समझ का भी विषय है। अपराधी को दंड देते समय उसकी परिस्थितियों, मानसिक स्थिति और सुधार की संभावना को ध्यान में रखना चाहिए। बुद्ध ने अपराधियों के प्रति भी करुणा का उपदेश दिया और कहा कि हम सभी अज्ञानता और मोह के शिकार हैं (हार्वे 123-127)।

बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग का सिद्धांत न्याय में संतुलन स्थापित करता है। न तो अत्यधिक कठोरता और न ही अत्यधिक उदारता उचित है। न्याय को दोनों अतिवादों से बचना चाहिए। यह सिद्धांत दंड निर्धारण में विशेष रूप से प्रासंगिक है। दंड इतना कठोर नहीं होना चाहिए कि वह अमानवीय हो जाए, और न ही इतना हल्का कि अपराध को प्रोत्साहन मिले (शर्मा 201-205)।

बौद्ध धर्म में कर्म सिद्धांत व्यक्तिगत उत्तरदायित्व को स्थापित करता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों के लिए स्वयं उत्तरदायी है। कोई दूसरा व्यक्ति आपके कर्मों का फल नहीं भोग सकता। यह सिद्धांत न्याय में व्यक्तिगत जवाबदेही को महत्व देता है (मिश्रा 120-124)। साथ ही, यह भी स्पष्ट करता है कि सामूहिक दंड अन्यायपूर्ण है। केवल वही व्यक्ति दंड का भागी होना चाहिए जो वास्तव में अपराधी है।

पालि साहित्य के न्यायिक दर्शन की विशेषताएँ

पालि साहित्य में वर्णित न्यायिक दर्शन की कुछ विशिष्ट विशेषताएँ हैं जो इसे अन्य प्राचीन और आधुनिक न्याय व्यवस्थाओं से अलग करती हैं।

प्रथम विशेषता यह है कि पालि साहित्य का न्यायिक दर्शन धर्म-आधारित है। यहाँ न्याय और धर्म अभिन्न हैं। धम्म (धर्म) वह सार्वभौमिक सिद्धांत है जो न्याय का आधार है (रीज़ डेविड्स और स्टीड 342-345)। यह केवल मानव निर्मित कानून नहीं, बल्कि प्राकृतिक नियम है। इस दृष्टिकोण से न्याय एक शाश्वत सत्य है, न कि केवल सामाजिक समझौता।

द्वितीय विशेषता नैतिकता और न्याय का गहरा संबंध है। बौद्ध न्याय केवल बाह्य कानून का पालन नहीं, बल्कि आंतरिक नैतिकता का विषय भी है। कर्म सिद्धांत के अनुसार, अनैतिक कार्य स्वयं ही अपना दंड उत्पन्न करता है (पांडे 156-160)। इस प्रकार न्याय एक नैतिक आवश्यकता है।

तृतीय विशेषता करुणा और न्याय का समन्वय है। पालि साहित्य में न्याय कठोर और यांत्रिक नहीं है। यह करुणा, क्षमा और सुधार के सिद्धांतों से युक्त है (हार्वे 178-183)। अपराधी को केवल दंड नहीं दिया जाता, बल्कि उसे सुधरने का अवसर भी प्रदान किया जाता है।

चतुर्थ विशेषता समानता का सिद्धांत है। बौद्ध न्याय में सभी व्यक्तियों को समान माना गया है। जाति, वर्ण, लिंग या आर्थिक स्थिति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है (कियोन, "बौद्ध धर्म और मानवाधिकार" 80-84)। यह सामाजिक न्याय का प्रगतिशील विचार था।

पंचम विशेषता व्यावहारिकता है। पालि साहित्य का न्यायिक दर्शन केवल सैद्धांतिक नहीं है। विनय पिटक में विस्तृत कानूनी प्रक्रियाएँ हैं। जातक कथाओं में व्यावहारिक न्याय के उदाहरण हैं (कॉलिन्स 267-271)। यह न्याय वास्तविक जीवन की समस्याओं से जुड़ा है।

षष्ठ विशेषता निष्पक्षता और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत हैं। विनय पिटक में यह स्पष्ट है कि दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर मिलना चाहिए। साक्ष्य का महत्व है। निराधार आरोप लगाना स्वयं अपराध है (त्रिपाठी 88-92)। ये सिद्धांत आधुनिक न्यायिक प्रक्रिया के मूल तत्व हैं।

सप्तम विशेषता सामाजिक और आर्थिक न्याय पर बल है। पालि साहित्य में केवल दंडात्मक न्याय नहीं, बल्कि वितरणात्मक न्याय की भी चर्चा है। राजा का कर्तव्य है कि वह गरीबों की सहायता करे, रोजगार के अवसर प्रदान करे और आर्थिक असमानता को कम करे (वर्मा 56-59)।

अष्टम विशेषता पुनर्स्थापनात्मक न्याय की अवधारणा है। बौद्ध न्याय में दंड का उद्देश्य प्रतिशोध नहीं, बल्कि सुधार और समाज में पुनः स्थापना है। अपराधी को सजा देकर समाज से बाहर नहीं किया जाता, बल्कि उसे सुधारकर पुनः समाज का सदस्य बनाया जाता है (राय 245-249)।

आधुनिक न्याय व्यवस्था के लिए प्रासंगिकता

पालि साहित्य का न्यायिक दर्शन केवल ऐतिहासिक महत्व का नहीं है, बल्कि आधुनिक न्याय व्यवस्था के लिए भी प्रासंगिक है। आज की दुनिया में जहाँ न्याय व्यवस्था अनेक चुनौतियों का सामना कर रही है, पालि साहित्य के सिद्धांत महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं।

प्रथम, पालि साहित्य में वर्णित प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत आधुनिक न्यायिक प्रक्रिया के मूल तत्व हैं। दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर, निष्पक्ष सुनवाई, साक्ष्य का महत्व और निराधार आरोपों से सुरक्षा – ये सभी सिद्धांत विनय पिटक में स्पष्ट रूप से वर्णित हैं और आधुनिक विधि में भी मान्य हैं (हॉर्नर, खंड 4, 189-193)।

द्वितीय, पुनर्स्थापनात्मक न्याय की अवधारणा आज विश्वभर में लोकप्रिय हो रही है। बौद्ध न्याय दर्शन ने सदियों पहले यह सिद्धांत प्रतिपादित किया था कि न्याय का उद्देश्य प्रतिशोध नहीं, बल्कि सुधार और समाज में पुनः स्थापना है (हार्वे 201-205)। आधुनिक अपराधशास्त्र इस सिद्धांत को स्वीकार कर रहा है।

तृतीय, सामाजिक और आर्थिक न्याय पर बल आज के कल्याणकारी राज्य की अवधारणा से मेल खाता है। पालि साहित्य में स्पष्ट कहा गया है कि गरीबी और बेरोजगारी अपराध को बढ़ावा देते हैं। राज्य का कर्तव्य है कि वह सभी नागरिकों को आजीविका के साधन उपलब्ध कराए (साइज़मोर और स्वीरर 145-149)। यह विचार आधुनिक सामाजिक न्याय के सिद्धांतों से पूर्णतः संगत है।

चतुर्थ, मानवाधिकार और समानता के सिद्धांत पालि साहित्य में स्पष्ट रूप से वर्णित हैं। बौद्ध धर्म ने जाति, वर्ण और लिंग के आधार पर भेदभाव का विरोध किया। यह आधुनिक मानवाधिकार आंदोलन का पूर्वाभास है (कियोन, "बौद्ध धर्म और मानवाधिकार" 85-90)।

पंचम, न्यायिक नैतिकता पर बल आज भी प्रासंगिक है। पालि साहित्य में कहा गया है कि न्यायाधीश को निष्पक्ष, विद्वान और धर्मज्ञ होना चाहिए। उसे भय, लालच, मोह या द्वेष से मुक्त होकर निर्णय लेना चाहिए (बोधि, "अंगुत्तर निकाय" 312-315)। आज भी न्यायिक भ्रष्टाचार और पक्षपात बड़ी समस्याएँ हैं। पालि साहित्य के सिद्धांत इन समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करते हैं।

षष्ठ, करुणा और न्याय का समन्वय आधुनिक न्याय को अधिक मानवीय बना सकता है। आज की न्याय व्यवस्था अक्सर यांत्रिक और कठोर हो जाती है। बौद्ध दर्शन की करुणा और क्षमा की अवधारणाएँ न्याय में मानवीय तत्व का समावेश कर सकती हैं (सद्धातिस्स 145-149)।

सप्तम, पर्यावरणीय न्याय की अवधारणा भी बौद्ध दर्शन से निकाली जा सकती है। बौद्ध धर्म में सभी जीवों के प्रति करुणा और प्रकृति के प्रति सम्मान का उपदेश है। आज जब पर्यावरण संकट गंभीर होता जा रहा है, बौद्ध दर्शन पर्यावरणीय न्याय का आधार प्रदान कर सकता है (गोम्ब्रिच 234-238)।

निष्कर्ष

पालि साहित्य में वर्णित न्यायिक दर्शन एक समग्र और बहुआयामी अवधारणा है जो धर्म, नैतिकता, समाज और राजनीति को समाहित करती है। यह न्याय केवल कानून और दंड की व्यवस्था नहीं है, बल्कि एक जीवन दर्शन है जो व्यक्ति और समाज दोनों के कल्याण को लक्ष्य बनाता है।

त्रिपिटक, विशेष रूप से विनय पिटक और सुत्त पिटक, न्यायिक सिद्धांतों और प्रक्रियाओं का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करते हैं। विनय पिटक में संघ की विधि व्यवस्था, न्यायिक प्रक्रिया और विवाद समाधान के तरीके आधुनिक न्यायिक प्रणाली के अनेक तत्वों से समानता रखते हैं (हॉर्नर, खंड 5, 267-272)। सुत्त पिटक में राजधर्म, सामाजिक न्याय और नैतिक आचरण के सिद्धांत राज्य और समाज के लिए मार्गदर्शक हैं। जातक कथाएँ व्यावहारिक न्याय के जीवंत उदाहरण प्रस्तुत करती हैं (कॉलिन्स 289-294)।

पालि साहित्य के न्यायिक दर्शन की विशेषताएँ इसे अद्वितीय बनाती हैं। धर्म और न्याय का अभिन्न संबंध, नैतिकता का केंद्रीय स्थान, करुणा और न्याय का समन्वय, समानता का सिद्धांत, व्यावहारिकता, प्राकृतिक न्याय के नियम, सामाजिक और आर्थिक न्याय पर बल, और पुनर्स्थापनात्मक न्याय की अवधारणा – ये सभी तत्व पालि साहित्य के न्यायिक दर्शन को एक समग्र और मानवीय व्यवस्था बनाते हैं (शर्मा 278-283)।

पालि साहित्य का न्यायिक दर्शन केवल ऐतिहासिक महत्व का नहीं है। यह आधुनिक न्याय व्यवस्था के लिए भी अत्यंत प्रासंगिक है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत, पुनर्स्थापनात्मक न्याय की अवधारणा, सामाजिक और आर्थिक न्याय पर बल, मानवाधिकार और समानता के सिद्धांत, न्यायिक नैतिकता और करुणापूर्ण न्याय – ये सभी आधुनिक न्याय व्यवस्था की चुनौतियों का समाधान प्रस्तुत कर सकते हैं (राय 298-303)।

इस शोध से यह स्पष्ट होता है कि पालि साहित्य में वर्णित न्यायिक दर्शन एक विकसित, मानवीय और समग्र व्यवस्था है। यह न्याय को केवल दंड की व्यवस्था नहीं, बल्कि सामाजिक कल्याण, व्यक्तिगत विकास और सार्वभौमिक शांति का साधन मानता है। आधुनिक विश्व में जहाँ न्याय व्यवस्था अनेक समस्याओं से जूझ रही है, पालि साहित्य का न्यायिक दर्शन एक प्रकाशस्तंभ के समान मार्गदर्शन प्रदान कर सकता है (पांडे 312-317)।

बौद्ध धर्म का यह योगदान केवल धार्मिक क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मानव सभ्यता के विकास में एक महत्वपूर्ण अवदान है। पालि साहित्य में निहित न्यायिक सिद्धांत आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने वे ढाई हजार वर्ष पूर्व थे। यह शाश्वत मूल्यों की शक्ति का प्रमाण है और भविष्य के लिए एक अमूल्य धरोहर है (नॉर्मन 189-193)।

अंततः, पालि साहित्य का न्यायिक दर्शन हमें यह सिखाता है कि सच्चा न्याय केवल कानून का पालन नहीं है, बल्कि यह धर्म, नैतिकता, करुणा, समानता और सामाजिक कल्याण का समन्वित रूप है। यह व्यक्ति के आंतरिक विकास से लेकर समाज के बाह्य संगठन तक सभी स्तरों पर लागू होता है। यही इस दर्शन की सार्वभौमिकता और शाश्वतता है (मिश्रा 125-128)।

पालि साहित्य के न्यायिक दर्शन का अध्ययन न केवल बौद्ध धर्म और दर्शन के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि विधि, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र और नैतिकता के क्षेत्र में भी यह अमूल्य योगदान देता है। यह शोध भविष्य के शोधकर्ताओं के लिए एक आधार प्रदान करता है जो इस विषय के विभिन्न पहलुओं का और गहन अध्ययन कर सकते हैं।

आधुनिक युग में जब मानवता नई-नई चुनौतियों का सामना कर रही है, पालि साहित्य का यह प्राचीन किंतु सदाबहार ज्ञान हमें सही दिशा दिखा सकता है। न्याय, शांति और सामाजिक सामंजस्य की स्थापना के लिए इन सिद्धांतों को समझना और अपनाना आज के समय की महत्वपूर्ण आवश्यकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. बोधि, भिक्खु. *द कनेक्टेड डिसकोर्सेज़ ऑफ द बुद्धा: अ ट्रांसलेशन ऑफ द संयुत्त निकाय.* विज़डम पब्लिकेशन्स, 2000.
2. ---. *द न्यूमेरिकल डिसकोर्सेज़ ऑफ द बुद्धा: अ ट्रांसलेशन ऑफ द अंगुत्तर निकाय.* विज़डम पब्लिकेशन्स, 2012.
3. गोम्ब्रिच, रिचर्ड एफ. *थेरवाद बुद्धिज़्म: अ सोशल हिस्ट्री फ्रॉम एंशेंट बनारस टू मॉडर्न कोलंबो.* रूटलेज, 2006.
4. त्रिपाठी, चंद्रभाल. "विनय पिटक में न्याय प्रक्रिया।" *बौद्ध अध्ययन*, खंड 8, 2003, पृ. 78-95.
5. नॉर्मन, के. आर. *पालि लिटरेचर: इन्क्लूडिंग द कैननिकल लिटरेचर इन प्राकृत एंड संस्कृत ऑफ ऑल द हीनयान स्कूल्स ऑफ बुद्धिज़्म.* ओटो हैरासोविट्ज़ वेरलाग, 1983.
6. पांडे, गोविंद चंद्र. *बुद्ध धर्म के विकास का इतिहास.* बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी, 1976.
7. मिश्रा, योगेन्द्र. "पालि साहित्य में धम्म की अवधारणा।" *धर्म दर्शन*, खंड 15, अंक 3, 2010, पृ. 112-128.
8. राय, सत्यनारायण. *प्राचीन भारत की न्याय व्यवस्था.* मोतीलाल बनारसीदास, 2005.
9. रीज़ डेविड्स, टी. डब्ल्यू., और जे. एस्टलिन कारपेंटर, संपादक. *द दीघ निकाय.* 3 खंड, पालि टेक्स्ट सोसायटी, 1890-1911.
10. रीज़ डेविड्स, टी. डब्ल्यू., और विलियम स्टीड. *पालि-इंग्लिश डिक्शनरी.* पालि टेक्स्ट सोसायटी, 1921-1925.
11. वर्मा, वी. पी. "प्राचीन भारत में न्याय व्यवस्था।" *इतिहास दर्पण*, खंड 12, अंक 2, 2007, पृ. 45-62.
12. वाल्शे, मॉरिस, अनुवादक. *द लॉन्ग डिसकोर्सेज़ ऑफ द बुद्धा: अ ट्रांसलेशन ऑफ द दीघ निकाय.* विज़डम पब्लिकेशन्स, 1995.
13. शर्मा, राम नाथ. *बौद्ध धर्म और दर्शन.* भारतीय ज्ञानपीठ, 1998.
14. शोपेन, ग्रेगरी. *बुद्धिस्ट मंक्स एंड बिज़नेस मैटर्स: स्टिल मोर पेपर्स ऑन मोनास्टिक बुद्धिज़्म इन इंडिया.* यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई प्रेस, 2004.
15. साइज़मोर, रसेल एफ., और डोनाल्ड के. स्वीरर, संपादक. *एथिक्स, वेल्थ, एंड सैल्वेशन: अ स्टडी इन बुद्धिस्ट सोशल एथिक्स.* यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कैरोलिना प्रेस, 1990.
16. सद्धातिस्स, एच. *बुद्धिस्ट एथिक्स.* विज़डम पब्लिकेशन्स, 1997.
17. सिंह, उपिंदर. *अ हिस्ट्री ऑफ़ एंशेंट एंड अर्ली मीडीवल इंडिया: फ्रॉम द स्टोन एज टू द 12थ सेंचुरी.* पियर्सन एजुकेशन, 2008.
18. हार्वे, पीटर. *एन इंट्रोडक्शन टू बुद्धिस्ट एथिक्स: फाउंडेशन्स, वैल्यूज़ एंड इश्यूज़.* कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, 2000.

19. हॉर्नर, आई. बी., अनुवादक. *द बुक ऑफ द डिसिप्लिन (विनय-पिटक).* 6 खंड, पालि टेक्स्ट सोसायटी, 1938-1966.
20. कियोन, डैमिएन. *बुद्धिस्ट एथिक्स: अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन.* ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 2005.
21. ---. "बुद्धिज़्म एंड ह्यूमन राइट्स." *जर्नल ऑफ बुद्धिस्ट एथिक्स*, खंड 2, 1995, पृ. 72-90.
22. कॉलिन्स, स्टीवन. *निर्वाण एंड अदर बुद्धिस्ट फेलिसिटीज़: यूटोपियाज़ ऑफ द पालि इमैजिनेर.* कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, 1998.
23. तंबिया, स्टैनली जे. *वर्ल्ड कॉन्करर एंड वर्ल्ड रिनाउंसर: अ स्टडी ऑफ बुद्धिज़्म एंड पॉलिटी इन थाईलैंड अगेंस्ट अ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड.* कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, 1976.
24. थानिस्सरो भिक्खु, अनुवादक. *द बुद्धिस्ट मोनास्टिक कोड I: द पातिमोक्ख ट्रेनिंग रूल्स.* मेत्ता फॉरेस्ट मोनास्ट्री, 2013.